



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विद्यायी परिषिष्ठ

भाग--4, खण्ड (खे)
(परिनियम आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 15 जनवरी, 2010

पौष 25, 1931 शक रामनवमि

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृत शिक्षा अनुभाग

संख्या 412 / संख्या 15-9-09-25 (35)-04

लखनऊ, 15 जनवरी, 2010

अधिसूचना

पृष्ठा 45

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 2000) की धारा 25 एवं धारा 26 के साथ पठित धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर, राज्य सरकार का पूर्वानुगोदन प्राप्त करने के पश्चात् संस्था के प्रधानों, अध्यापकों तथा संरथाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, ने निम्नलिखित विनियमावली को बनाया है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संरथाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संरथाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों) विनियमावली, 2009

अध्याय--1

प्रारम्भिक

1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद संक्षिप्त नाम और (संरथाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संरथाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रारम्भ सेवा शर्त) विनियमावली, 2009 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अध्याय-2

संस्थाओं के प्रधानों एवं अध्यापकों की नियुक्ति

2—किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान और अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए,

सीधी भर्ती से हो या अन्यथा, न्यूनतम अर्हताये वही होगी जैसी "परिशिष्ट-क" में दी गयी है।

3—(1) संस्था के प्रधान का पद जिन्हें 9 में नियांसित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां संस्था के प्रधान के पद में ऐसी असाधारणी रिक्ति पदधारी को किसी शिक्षा सत्र के दौरान छः माह से अनधिक अवधि की छुट्टी प्रदान किसी पदधारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति या उसके नितम्बन के कारण हुई हो, संस्था ने श्रेणी में ल्योस्टतम अर्ह अध्यापक की, यदि कोई हो, पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी।

(2)—(क) जहां कोई संस्था प्रथमा से पूर्व मध्यमा अथवा पूर्व मध्यमा से उत्तर मध्यमा में की जाय वहां संस्था के प्रधान के पद को 'यथारिति' प्रथमा के प्रधान अध्यापक की पदोन्नति व पूर्व मध्यमा, के प्राचार्य की पदोन्नति कर भरी जाएगी, यदि ऐसा प्रधानाध्यापक पूर्व मध्यमा : मध्यमा के प्रधान के पद की नियुक्ति हेतु विहित उत्तम सेवा अभिलेख और न्यूनतम अर्हता रखता

(ख) ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य की पदोन्नति के जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से संयुक्त शिक्षा निदेशक के समाझ उसकी सहमति के लिए करेगी।

(ग) उप खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्याव के साथ प्रबन्ध समिति के उस प्रत्याव की, जिसमें ऐसे प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का अनुमोदन किया गया हो, उसकी सेवा पुरितका और पंजिका संलग्न होगी और उसमें उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दिया होगा, अर्थात्—

(एक) जन्म का दिनांक;

(दो) उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा, जिसमें ऐसी परीक्षाओं के विषय, श्रेणी और उत्तीर्ण का वर्ष लिखित होगा।

(घ) मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ऐसे प्रत्याव पर अपने विनिश्चय के सम्बन्ध में उसके दिनांक से दो सालाह के भीतर संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह रामझा जायेगा कि संयुक्त शिक्षा निदेशक ने ऐसे प्रत्याव पर अपनी सहमति दे दी है।

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के विनिश्चय के सम्बन्ध में समिति तथा राज्यकाल प्रधान को भी संसूचित किया जायेगा।

(च) खण्ड (ङ) के अधीन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के विनिश्चय से व्यधित कोई जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति भी है, आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक से दस दिन के उसके विस्तृद्व शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को अध्यायेदन कर सकता है। निदेशक(माध्यमिक), उत्तर प्रदेश का विनिश्चय अनिम होगा।

(छ) प्रथमा या पूर्व मध्यमा, जैसी भी रिति हो, का प्रधानाध्यापक उच्चीकृत संस्था के प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य न पाये जाने की रिति में, उसे उच्चतम पद पर लिए यह अर्ह हो सहायक अध्यापक के रूप में रखा जाएगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका वे घटाया नहीं जाएगा।

(3) जहां संस्थां के प्रधान के पद की असाधारणी रिक्ति छः माह से अनाधिक अवधि की है अनुमति दी जाएगी परन्तु वह जो वेतन वर्तमान वेतनमान में प्राप्त कर रहा है, उससे उच्चतर वेतन वेतन का अधिकारी नहीं होगा।

(4) ऐसे सभी मागलों में जिनमें इस विनियम के अधीन पदोन्नति की जाय प्रबन्ध समिकालीन की प्रति परिशिष्ट—ख में विहित प्रारूप विवरण के साथ शीघ्र ही प्रबन्धक द्वारा जिला विधायक और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अनुमोदन हेतु अप्रसारित की जाएगी।

4—(1) प्रत्येक संस्था की प्रबन्ध समिति निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार अध्यापकों की जरूरी तैयार करायेगी :—

(क) प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों की, चाहे किसी मौलिक पद पर रक्षार्थी हो या अस्त्रोष्टता सूची पृथक—पृथक तैयार की जायेगी।

(ख) किसी श्रेणी में अध्यापकों की ज्येष्ठता उस श्रेणी में उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर अवधारित की जायेगी। यदि एक ही दिनांक को दो या दो से अधिक अध्यापक इस प्रकार नियुक्त किये गये हों, तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी;

(ग) जहाँ किसी श्रेणी में काम करने वाले दो या अधिक अध्यापक एक ही दिनांक को अगती उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति किए जायें वहाँ उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी सेवा अवधि के आधार पर अवधारित की जाएगी, जिसकी गणना उस श्रेणी में जिससे पदोन्नति की जाय उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से की जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सेवा की अवधि समान हो तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(घ) सेवा काल की अवधि चाहे कुछ भी हो, उच्चतर श्रेणी के अध्यापक को निम्नतर श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जाएगा;

(ङ) यदि कोई अध्यापक जो निलम्बित किया गया हो अपने मूल पद पर बहाल कर दिया जाय तो श्रेणी में उसकी मूल ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(च) अध्यापक की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में प्रत्येक विवाद प्रबन्ध समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विनिश्चय के कारणों को देते हुए विनिश्चय करेगी;

(छ) उपखण्ड (च) के अधीन प्रबन्ध समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक, ऐसे विनिश्चय के प्राप्त किए जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर मंडलीय उप निरीक्षक, संरकृत पाठशालाओं को अपील कर सकता है, और उसे उप शिक्षा निदेशक (संरकृत) को उसकी संस्थानी वोहाएँ अग्रसारित करेगा। उप शिक्षा निदेशक (संरकृत) का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) ज्येष्ठता सूची प्रतिवर्ष पुनरीक्षित की जायेगी और खण्ड (1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे पुनरीक्षण पर लागू होंगे।

5—जहाँ किसी प्रश्नमा रक्तूल को धारा 11 के अधीन पूर्व मध्यमा के रूप में मान्यता दी जाय, वहाँ ऐसे रक्तूल के ऐसे स्थायी या अस्थायी अध्यापक को, जो विनियम 2 के अधीन उल्लिखित न्यूनतम अर्हता रखता है, ऐसे पूर्व मध्यमा रक्तूल का यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी अध्यापक समझा जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अस्थायी अध्यापक की सेवायें, जिसका अधिनियम और विनियम के अनुसार नियुक्ति के लिए चयन न किया गया हो, उसे उस निमित्त एक माह का नोटिस या ऐसी नोटिस के बदले में एक माह का वैतन देखें के पश्चात् सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

6—(1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था में अध्यापक के पद की प्रत्येक रिक्ति, उप विनियम (2) में किए गए अन्यथा उपबन्ध के सिवाय, सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी।

(2) (क) प्रवक्ता श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत पद एल०टी० श्रेणी में संस्था में कार्यरत-अध्यापकों में से केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित रहेगा और पदोन्नति ऐसे अध्यापकों की पदोन्नति के लिए उपलब्धता तथा पात्रता के अधीन की जायेगी।

(ख) यदि प्रवक्ता श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक पद पहले ही पदोन्नति द्वारा भर लिए गए हों तो पहले से पदोन्नत व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन पचास प्रतिशत पदों तकी संगणना करने में आधा से कम भाग छोड़ दिया जायेगा और आधा या आधे से अधिक भाग को एक समझा जायेगा।

7—(1) जहाँ विनियम 6 के अधीन यथावधारित प्रवक्ता श्रेणी में कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो, वहाँ एल०टी० श्रेणी में कार्यरत ऐसे सभी अध्यापकों को सम्बन्ध में जिनकी उक्त रिक्ति होने के दिनांक को न्यूनतम पांच वर्ष वी लगातार मौलिक सेवा हो, प्रबन्ध समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उसके निमित्त आवेदन किए बिना ही विचार किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि वे उस विषय में जिसमें प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक की आवश्यकता हो, अध्यापक के लिए निहित न्यूनतम अर्हता रखते हों।

(2) अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए चयन सेवाकाल, सेवायें, सेवा में उपलब्धि, शैक्षिक अर्हता और सत्यानिष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(3) उप नियम (2) के अधीन रहते हुए जहां किसी विषय में प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति के लिए एल०टी० श्रेणी में एक से अधिक अध्यापक पात्र हों, वहां ऐसे अध्यापक को अधिमानता दी जायेगी जो उनमें से उस श्रेणी में ज्योष्टितम हों।

(4) (क) किसी ऐसे अध्यापक के दावे को जो पदोन्नति के लिए पात्र हो केवल इस कारण उपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह लाई छुट्टी पर चला गया है या उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर असाधारण रूप से रशनापन्न है या कार्बू कर रहा है।

(ख) किसी ऐसे अध्यापक की दशा में जो भित्तिवाल हो, पदोन्नति के लिए दावे की उपेक्षा नहीं की जायेगी, यदि पदोन्नति हेतु चयन किए जाने के पूर्व बहाल कर दिया जाय।

(5) किसी ऐसे अध्यापक के सम्बन्ध में जिसका इन विनियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन किया गया है, संस्था वह प्रबन्धक ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर जिला विद्यालय निरीक्षक की सहमति के लिए प्रस्ताव के साथ ऐसे संकल्प की एक प्रति और एक विवरण-पत्र भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए जायेंगे :-

(एक) उस श्रेणी में जिसमें पदोन्नति की जानी हो, स्वीकृत पदों की कुल संख्या;

(दो) ऐसे पदों की संख्या जो पदोन्नति के लिए आरक्षित रखे जायेंगे;

(तीन) ऐसे पदों वजे संख्या जो पहले ही पदोन्नति द्वारा भर दिये गये हों, और पदाधिकारियों के नाम;

(चार) ऐसी रिवित्यों की संख्या जो हो गई हो;

(पाँच) प्रबन्ध समिति द्वारा अवधारित रिवित्यों की संख्या जो -

(क) पदोन्नति;

(ख) रीढ़ी भर्ती द्वारा गई ज्ञायेगी।

(छ) पदोन्नति के लिए रागी पात्र अभ्यर्थियों के नाम उनकी झहता और उस श्रेणी में जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, उनकी मौतिक नियुक्ति के दिनांक से उनकी सेवा की अवधि, और

(सात) पदोन्नति के लिए चयन किए गए व्यक्तियों के नाम।

(6) विनियम (5) में निर्दिष्ट प्रस्ताव की प्राप्ति पर जिला विद्यालय निरीक्षक अपनी संरक्षित के साथ, उसे सम्बन्धित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के पास एक सप्ताह के भीतर भेजेगा। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एक सप्ताह के भीतर अपने विनिश्चय के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक को संसूचित करेगा जो एक सप्ताह के भीतर पदोन्नति को अनुमोदित करेगा।

(7) जहां प्रबन्ध समिति उपरिविधि (6) के अधीन निरीक्षक के विनिश्चय से व्यक्ति हो, वहां वह प्रबन्धक को ऐसे विनिश्चय की संसूचना दिए जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर उसके विरुद्ध शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को अभ्यावेदन कर सकती है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

8-(1) जहां अध्यापक के पद की कोई रिवित्त उरो छः माह से अधिक अवधि की छुट्टी प्रदान किए जाने के कारण हुई हो या जहां कोई अध्यापक निलक्षित हो जिसे सम्बन्धित संयुक्त शिक्षा निदेशक ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2000 की धारा 26 की उपधारा (6) के अधीन लिखित रूप में अनुमोदित कर दिया हो और ऐसे अनुमोदन के दिनांक से छः माह से अधिक हो जाने की समाजना हो तो रिवित्त विनियम-9 के उपरबन्धों के अधीन रहते हुए पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती है।

(2) जहां विनियम-3 के अधीन पदोन्नति के परिणामस्वरूप उपरिविधि (1) के अधीन कोई रिक्त हुई हो और ऐसी रिवित्त की अवधि तीस दिन से अधिक किन्तु छः माह से अनधिक हो तो प्रबन्ध समिति द्वारा ज्ञायार पर सरका के विकास नियमतार श्रेणी के सम्बन्ध रूप से अर्द्ध रथायी अध्यापक की पदोन्नति करके भरी जा सकती है।

(3) यदि खण्ड (2) के अधीन कोई विक्ति निकटतम निम्नतम श्रेणी में संरथा के किसी ऐसे अध्यापक के, जो उस पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, जपलब्ध न होने के कारण भरी न जा सके तो वह प्रबन्ध समिति द्वारा कुल मिलाकर छः माह से अनधिक अवधि के लिए सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ आधार पर भरी जा सकती है।

(4) उपविविषण (2) या उपविविषण (3) के अधीन भरी गई राती विभिन्नताओं के बारे में उनके भरे जाने के एक साताह के भीतर परिशिष्ट (ख) में विहित प्रारूप में संयुक्त शिक्षा निदेशक को सूचित किया जायेगा।

9--किसी मान्यताप्राप्त संरथा में संरथा के प्रधान और अध्यापकों की विक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी --

(क) प्रबन्ध समिति द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली विक्तियों की संख्या अवधारित कर लिए जाने के पश्चात् भर्ती के प्रस्ताव को पूर्वानुमोदन हेतु निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निम्नलिखित को सम्प्रिलित करते हुए भेजेगा --

(1) उस श्रेणी में जिसमें नियुक्ति की जानी हो, स्वीकृत पदों की कुल संख्या;

(2) आरक्षण हेतु रखी गयी ऐसी विक्तियों की संख्या;

(3) अनाइक्विटी विक्तियों की संख्या;

(4) अध्यापकों का विवरण (श्रेणीवार)।

(ख) खण्ड (क) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश संरथा में कर्मसारिगों की संख्या का अवधारण करने के पश्चात् शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को अनुगोदनार्थ संसूचित भेजेगा।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन रुचना प्राप्त होने पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश आगामी विविश्चय संसूचित करेंगे।

(घ) खण्ड (ग) के अधीन अनाप्ति प्राप्त होने पर प्रबन्ध समिति उसे मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें को भेजेगी जो उसे मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजेगा।

(ङ) मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें द्वारा कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों (एक हिन्दी तथा दूसरा अंग्रेजी) जिनका रात्त्य में व्यापक प्रचलन हो, विक्तियों की संख्या, पदों के विवरण के प्रकार (अर्थात् अस्थायी है या रथायी), (संरथा के प्रधान, प्रदक्षिण या एल०टी० श्रेणी के अध्यापक, तथा ऐसे विषय जिसमें प्रवक्ता या एल०टी० ग्रेड के अध्यापक की आवश्यकता हो) वेतनमान व अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता एवं न्यूनतम आयु, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिये गये हों और अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनाक से दो सप्ताह रो कम न होना चाहिए) विज्ञापित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रतिक्रिया में सम्प्रिलित रूप से पूर्णतया भरे गये आवेदन-पत्र मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं द्वारा विविश्चय में प्राप्त किये जायेंगे।

विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें के कार्यालय से 25/- रु० प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक खाते से भुगतान करने पर या कोषागार के चालान से निरीक्षक द्वारा बताये गये शीर्षक के अधीन स्टेट बैंक और इण्डिया में बनराशि जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी दशा में मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं के कार्यालय में नकद रूप से भुगतान रचीकार नहीं किया जाएगा।

दिव्याणी--(1) विज्ञापन हेतु के समय पर विद्यमान संरथा के अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पद की विक्तियां विज्ञापित की जायेंगी।

(2) कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसका सृजन के लिए रामुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ही जाए।

(3) आवेदन का प्रपत्र ऐसा होगा जैसा कि निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(छ:) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिये गये आवेदन पत्र को जो संरथा में नियोजित हों औ अन्यत्र या उसी संरथा में किसी पद के लिए आवेदन कर रहा हो, नियोजक द्वारा रोका नहीं जाएगा, किन्तु शीघ्र ही मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाएँ को अग्रसारित किया जायेगा।

(ज) प्राप्त किये गये आवेदन पत्र मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाएँ के कार्यालय अनुमोदित प्रपत्र रखे गये रजिस्टर में क्रमानुसार संख्याक्रम एवं प्रविश्ट किये जायेंगे औ अभ्यर्थीयों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण विषयक प्रातांकों के साथ समुचित रत्नमाणे अन्तर्गत दर्ज किये जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी का गुण विषयक अंक परिशिष्ट "घ" में अधिकथि मानदण्ड के अनुसार अधिमान्यतया निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये ग रथानीय सेवानिवृत्त राज्यपत्रित अधिकारियों या सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य या उपाधि महाविद्यालय गा विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा दिये जायेंगे और इसकी जांच मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृ पाठशालाएँ के अधिकारियों द्वारा की जायेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अर्थर्थ का चयन उनके द्वारा गुण विषयक प्रातांकों के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक पद के लियाकालकार के लिए बुलाए जाने वालों की राख्या (यदि आवेदकों की संख्या उतनी हो) सा होगी। प्रतिशब्द यह है कि संख्या ऐसे अभ्यर्थीयों को अनुसार पदानुक्रम के लिए बढ़ाई र सकती है जो प्रधान समाजों में रामानुज गुण विषयक उत्तम प्राप्त करें। मंडलीय संयुक्त शिक्षण निदेशक चयन करने के लिए ऐसे दिनांक, समय और रथान का विनिश्चय करेगा जैसा उसके द्वारा निर्धारित किया जाय, ऐसे दिनांक से कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेजेगा।

(झ) मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाएँ चयन समिति के सदस्यों को सूचना दे और साक्षात्कार के लिए शिर्षारित दिनांक, समय और रथान कम से कम दस दिन पूर्व अर्थर्थ को प्रतीकृत लाक द्वारा देगा। चयन समिति चयन के लिए तदनुसार बैठक आयोजित करेंग चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

- | | |
|---|--------------|
| (एक) मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक | - सभापति |
| (दो) दो मंडलीय-उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाएँ | - सदस्य सचिव |
| (तीन) शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उद्योग द्वारा मनोनीत दो | - सदस्य |

संस्कृत विशेषज्ञ

- | | |
|---|---------|
| (चार) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्ताप प्रांदेश द्वारा नामित दो | - सदस्य |
| राजपत्रित अधिकारी जिनमें एक अनुरूपित लालि तथा | |
| दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय का हो। | |

- | | |
|---|---------|
| (पाँच) सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक | - सदस्य |
| तथा वित्त एवं लेखाधिकारी | |

(ज) मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाएँ द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाये अभ्यर्थीयों के संबंध में नाम अहंताएँ व अन्य विवरण (आठ प्रतिशों में) परिशिष्ट—"ग" के अनुरूप तैयार कराया जाएगा और विवरण चयन समिति के प्रत्येक सदस्य के समक्ष साक्षात्कार के स रखा जाएगा।

(ट) चयन समिति द्वारा चयन रामायूण गुण विषयक अर्थों के आधार पर तथा साक्षात्कार प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ पूर्णांक को खण्ड (ज) के अधीन अमर द्वारा प्राप्त गुणांकों एवं चयन समिति के सदस्यों द्वारा 50 अंकों से प्रदत्त औसत अंकों जोड़कर निकाला जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विशेषज्ञ उपनिषद (ज) में अभिवितिरित कि वह अभ्यर्थी ने चयन से रहमत है या नहीं। असहमति की दशा में वह संकेत में का दिल्लिये गा। पद के लिए सभी अभ्यर्थीयों के साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति का सभापति तो रथान या किसी दूसरे सदस्य द्वारा आयोजित चयन की कार्यालयी पर दो प्रतिशों में टिप्प तैयार करायेगा। जिसमें चयनित अभ्यर्थीयों के नाम तथा प्रतीक्षा सूची में दो अभ्यर्थीयों के गुणवत्ता के क्रम में तथा कम से कम दो विशेषज्ञों जो ऐसे अभ्यर्थीयों के चयन से सहमत हो नाम अनिवार्य करेगा। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर रामायूण तथा चयन समिति के द रादर्श पूर्ण नाम, पद, पता तथा दिनांक अंकित करेगा। इस टिप्पणी की एक प्रति खण्ड (ज) निर्दिष्ट विवरण की प्रति के साथ शीघ्रतांशीधि प्रगान्धाधिग्रन्थ के अध्यक्ष को प्रबन्धक के मा

से अग्रसारित किया जायेगा तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित किया जायेगा।

(८) खण्ड (८) में किसी बात के होते हुए भी यदि दो या दो से अधिक आर्थियों के प्राप्तानक समूह हों तो आप् एवं लघुत्तम आर्थी को वरीयता दी जायेगी।

१०—चानन रो सामाजिक दर्शी आवेदन पत्र कागज पत्र और रजिस्टर मंडलीय उपनिरीक्षक पातशालायें द्वारा उतनी अनन्वि तक सुरक्षित रखे जायेंगे तैसी कि निदेशक द्वारा विहित की जाय और जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक (पाठ्याधिक), उत्तर प्रदेश को जैसे ही और जब उन्हें मांगा जाय, प्रतुत किये जायेंगे।

११—संयुक्त शिक्षा निदेशक एक या अधिक संस्थाओं के एक या अधिक चयन के लिए ऐसे स्थान, समय और दिनांक निर्धारित कर सकता है, जो सुविधाजनक हो।

१२—संस्था के प्रधान एवं अध्यापकों के चयन के लिए शिक्षा निदेशक (पाठ्याधिक) उत्तर प्रदेश प्रत्येक मंडल के लिए पृथक-पृथक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए उनकी लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात् मनोनीत करेगा।

१३—चानन समिति की बैठक में उपरिवृत्त प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा रामण्य-समय पर यथार्थीकृत दर पर पाठ्याधिक माने के हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों को ऐसी दर पर जैसा राज्य सरकार रक्तीकृत किया जाय, यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

१४—नियम-५ के खण्ड (८) के अधीन चयन समिति की संस्तुति व निर्दिष्ट अधिकारी का अनुप्राप्त प्राप्त द्वारे के प्रदान दिन के भीतर प्रयत्नम् प्रयत्नम् उपनियन्त्रित करने का आदेश जारी करेगा जिसमें आर्थी रो ऐसे आदेश की प्राप्ति से दूसरे दिन के भीतर कार्यगार गृहण करने की अपेक्षा की जायेगी, कार्यभार गृहण न करने पर आर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। इसकी एक-एक प्रति मंडलीय निरीक्षक रक्तीकृत पातशालायें जिला विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजी जायेगी।

१५—यदि शिक्षा निदेशक (पाठ्याधिक), उत्तर प्रदेश का यह रामाधान हो जाय कि चयन की प्रक्रिया दूषित है तो वह चानन की प्रक्रिया को विषयाधी एवं शून्य घोषित करेगा और ऐसे मामलों में पूना चयन लिए जाने का आदेश देंगा। इस समाजम् में निदेशालय ना आदेश सभी समाजित पक्षों पर बाधकारी होगा।

आध्याय-३

अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

१६—राज्य की प्रत्येक संस्कृत रसरग्य में समूह 'ग' एवं समूह 'घ' का एक-एक पट सूजित किया जायेगा। ऐसे कर्मचारियों को समाज-समष्टि पर राज्य सरकार द्वारा रक्तीकृत वैदानिक प्रदान दिए जायेंगे।

१७—समूह 'ग' के कर्मचारी की नियुक्ति प्रबन्ध समिति द्वारा और समूह 'घ' के कर्मचारी की नियुक्ति राज्य के प्रधान द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के पूर्वानुग्रहन से की जायेगी।

१८—(१) समूह 'ग' के पट पर चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जायेगी। कम से कम दो ऐसे समाजार पक्षों में (जिनमें एक राज्य में व्यापक प्रचलन वाला तथा दूसरा रक्तीय प्रकाशन वाला होगा) पट विद्यालय नियुक्ति द्वारा नाम आर्थियों के नाम प्राप्त छिद्ये जायेंगे।

(एक) प्रबन्ध समिति का नाम आग्रह या प्रतन्य समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य चयन समिति का रामापति होगा।

(दो) सरकार का प्रधान,

(तीन) जिला विद्यालय निरीक्षक या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी;

(चार) जिला सेवायोजन अधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी।

(2) ऐसे पद की विधित विज्ञानित की जाएगी और विधित का प्रकाशन कम से कम दो समाचार पत्रों में जिनका क्षेत्र में प्रचलन हो, किया जाएगा।

19—समूह 'घ' के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए जिला विद्यालय नियोक्ता के अनुमोदन से जिला सेवायोजन अधिकारी से आशर्त के नाम प्राप्त किये जायेंगे।

20—समूह 'ग' पद पर नियुक्ति के लिए अहंता किसी विधि द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से प्रदत्त 'रानातक' उपाधि होगी तथा समूह 'घ' पद के लिए हार्डरकूल।

21—समूह 'ग' तथा समूह 'घ' पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न होगी। आयु में छूट समाय-समय पर प्रवृत्त नियमों के अनुसार ही जायेगी।

अध्याय-4

संरक्षा के प्रधान, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्त नियुक्ति, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण :—

22—संरक्षा के प्रधान और अध्यापक प्रबन्ध समिति द्वारा कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई के पूर्व किसी संस्था के प्रधान अथवा अध्यापक को होने वाले राष्ट्रीय विधित स्थान की नैतिक रूप से पूर्ति आने वाले 31 जुलाई तक कर दी जाएगी। 01 अगस्त तक सम्भालित विधित स्थान की पूर्ति इसी प्रकार आने वाले 31 अगस्त तक होनी चाहिए।

23—(1) समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए ऐसी न्यूनतम अहंतायें होंगी जैसी इन विधिमों में अवधारित की जायें।

प्रतिबन्ध यह है कि समूह 'घ' का कर्मचारी जिसमें 10 वर्ष की सेवा पूरी करती हो, समूह 'ग' के पद पर पदोन्नति के लिए छूट दी जा सकती है, लेकिन किसी भी दशा में समूह 'घ' का कर्मचारी तब तक पदोन्नति नहीं पाएगा जब तक वह हार्डरकूल विधित के नियमों न कर ले।

(2) प्रधान विधिक एवं वैत्यक श्रेणी विधियों के स्वीकृत पदों की संख्या का पचास प्रतिशत नियमित रूप से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा जिन्होंने ने 5 वर्ष की अधिक रेता पूरी कर ली हो परन्तु यह कि समूह 'ग' के पद पर नियुक्ति के लिए इस नियमावली के अधीन निर्धारित अहंता रखता हो तथा उसका सेवा अभिलेख संतोषजनक हो। यदि कोई कर्मचारी प्रबन्ध समिति के किसी विधित स्थान से व्याप्ति हो तो वह ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर पहली उपनियोजित संरक्षण पाठशालाओं को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और प्रबन्ध समिति द्वारा उसे कार्यान्वयित किया जायेगा।

24—ऐसे किसी व्यक्ति को शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), उत्तर प्रदेश की पूर्व सहमति के बिना नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह किसी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था अथवा राज्य सरकार द्वारा राजमित्या प्राप्त संस्था नी सेवा से पदन्युत संस्था का प्रधान अथवा अध्यापक हो।

25—अध्यापक वर्ष में से कोई सदस्य अथवा संस्था का प्रधान किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति में किसी पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

26—सभी नियुक्तियां चार्य समिति द्वारा चार्यन के अध्याधीन और नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से औपचारिक आदेशों द्वारा नियुक्ति पदों की जायेगी।

27—किसी राष्ट्रीय विधित के सापेक्ष नैतिक नियुक्ति हेतु चार्य समिति किसी व्यक्ति को उसके कार्यभार प्रहण करने की विधि से परिवीक्षाधीन रखा जायेगा।

28—संस्था के प्रधान या किसी अध्यापक चाहे वह रीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया हो, के लिए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी।

29—परिवीक्षाधीन व्यक्ति को रथायी किया जायेगा यदि उसने चार्य को भर्ती किये गये पद के पांच विधि किया है तथा उसकी रात्यनिष्ठा प्रमाणित है।

30—यदि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से पूर्व संरथा के प्रधान या अध्यापक की सेवा समाप्त नहीं कर दी जाती है अथवा विनियम 31 के अधीन उसे पदच्युत करने, उन्मोचित करने या हटाने या पदावनत करने के लिए कार्यगृही नहीं की जाती है तो उसे अपने पद एवं पदक्रम में परिवीक्षा काल की समाप्ति पर रखायी कर दिया जायेगा।

31—संरथा के प्रधान अथवा अध्यापक नीं परिवीक्षा अवधि अधिकतम् 12 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

32—जिस तिंशि को किसी अध्यापक का रक्षायीकरण नियत है, उस दिनांक से कम से कम छः सप्ताह पूर्व संरथा का प्रधान उसके रक्षायीकरण ज कागज-पत्र तैयार करेगा और उन्हें अपनी अभियुक्तियों, अध्यापक चरित्र पंजी तथा नियुक्ति आदेश के साथ प्रबन्धक को भेजेगा जो उन्हें प्रबन्ध समिति के विचारार्थ प्रत्युत्त करेगा। इसी प्रकार संरथा के प्रधान के रक्षायीकरण के कागज-पत्र प्रबन्धक द्वारा तैयार किये जायेंगे और उन्हें प्रबन्ध समिति के समक्ष रखा जायेगा। प्रबन्ध समिति का विनिश्चय प्रत्येक मासले में संकल्प के रूप में अभिलिखित किया जायेगा।

33—प्रबन्ध समिति द्वारा किसी व्यवित को रखायी किए जाने के संकल्प की एक प्रति उसकी सेवापूर्तिका दी जायेगी और उसकी सेवा पूर्तिका में समुचित प्रविष्टि दी जायेगी।

34—किसी संरथा के प्रधान अथवा अध्यापक के परिवीक्षाकाल में एक संरथा से दूसरी संरथा में रथनान्तरण होने पर उसकी परिवीक्षा में व्यवधान नहीं होगा और उसके रक्षायीकरण की कार्यगृही उस संरथा द्वारा की जायेगी जिसमें वह रथनान्तरित हुआ है।

35—संरथा के प्रधान अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष होगी। यदि संरथा के प्रधान अथवा अध्यापक की सेवानियुक्ति का दिनांक 2 जुलाई और 30 जून के मध्य में पड़ता है, तो उसे उस वर्ष के 30 जून तक रखा रखा तिरतार दिया जाएगा, जबकि कि वह उक्त के सम्बन्ध में लिखित रूप में प्रत्याख्यान नहीं दे देता है।

36—सेवा तिरतार उन्हीं विशिष्ट परिवर्तियों में प्रदान किया जायेगा जिनका अवधारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

यदि किसी समूह 'ग' या समूह 'घ' के कर्मचारी की अधिवर्षिता आयु किसी माह के मध्य उस माह के प्रश्नप्रधान के पश्चात पड़ती है तो वह उस माह के अन्तिम दिनांक तक सेवा में रहेगा और माह के प्रथम दिनांक की विशिष्टि में पूर्व माह के अन्तिम दिनांक को उसकी अधिवर्षिता आयु होगी।

37—समूह 'ग' तथा समूह 'घ' श्रेणी के अन्य कर्मचारी

समूह 'ग' तथा समूह 'घ' श्रेणी के ऐसे अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति, परिवीक्षा (जिसकी अवधि एक वर्ष होगी) तथा विशिष्टियों का भरा जाना, नियुक्ति, परिवीक्षा तथा रक्षायीकरण आवश्यक परिवर्तनों सहित, विनियम 22, 25 से 33 द्वारा शासित होंगे।

अध्याय—5

किसी संरथा के प्रधान अथवा अध्यापक की सेवा समाप्ति

38—अस्थायी रूप से एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त अथवा अवकाश रिवित में अथवा सत्र के किसी आंशिक भाग के लिए होने वाली किसी विशिष्टि में नियुक्त किसी अध्यापक या संरथा के प्रधान की सेवाएँ जबकि विशिष्टि के अनुसार बढ़ायी न जाय, उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई थी अथवा उस विशिष्टि समाप्त हो जाएगी, तो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार की समाप्ति के लिए किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

39—(1) किसी रक्षायी अध्यापक या संरथा के प्रधान की सेवा उसे तीन मास की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन मास का वैतन देकर जिस पद पर अध्यापक कार्य कर रहा है, उस पद के समाप्ति के आधार पर समाप्त की जा सकती है, पद समाप्त निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है—

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण विनिश्चित की गयी छंटनी।

(ख) एक विषय का हटाया जाना।

(ग) वर्ग अथवा कक्षा की समाप्ति।

(2) उप विनियम (1) में उल्लिखित नोटिस वी अवधि वी संगणना करने के प्रयोजन के लिए अथवा उसके बदले में संदर्भ की जाने वाली धनराशि निर्धारित करने के लिए ग्रीष्मावकाश वी अवधि अपवर्जित कर दी जायेगी।

40—प्रबन्ध समिति रथारी अध्यापक या संरक्षा के प्रधान वी सेवा की समाप्ति के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को उस समय तक प्रस्तावित नहीं करेगी जब तक इस सददेश्य से विशेष रूप से आहूत बैठक में उपरिथित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव नहीं पारित हो जाता है।

41—कोई अध्यापक या संरक्षा का प्रधान उपरोक्त नोटिस देकर अथवा उसके बदले में वैतन देकर त्याग पत्र दे सकता है।

42—किसी अध्यापक या संरक्षा के प्रधान को त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं मिलेगी यदि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है जब तक कि उसे प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसा करने की विशेष अनुमति नहीं प्राप्त हो जाती है।

अध्याय--6

दण्ड, जांच तथा निलग्रन

43—(1) अध्यापक या संरक्षा के प्रधान को दण्ड जिसके लिए मण्डलीय संस्कृत शिक्षा निदेशक की पूर्ण रसीदृति आवश्यक होगी, निम्नलिखित में से किसी एक रूप में हो सकता है :—

(क) पदच्युति।

(ख) पद से हटाना या मुव्वरा करना।

(ग) श्रेणी में अच्छमति।

(घ) परिलक्षणों में कमी।

(2) समूह-'ध' कर्मचारियों को उप विनियम(1) में उल्लिखित कोई दण्ड दिये जाने हेतु संरक्षा का प्रधान सक्षम होगा। दण्ड के मामले में प्रबन्ध समिति को अपील वी जा सकेगी। यह अपील दण्ड सूचित किए जाने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रस्तुत वी जाएगी। अपील पर निर्णय अपील की प्राप्ति के दिनांक से अधिकातम छः सप्ताह के भीतर चिन्ह जाएगा। समरत सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने एवं कर्मचारी को, यदि प्रबन्ध समिति के समक्ष स्वयं उपरिथित होना चाहे, व्यवित्तगत सुनवाई का अवसर देकर प्रबन्ध समिति अपील पर निर्णय निर्गत करेगी।

(3) समूह-'ध' कर्मचारी को यह भी विशेषाधिकार होगा कि उसकी अपील पर किये गये प्रबन्ध समिति के निर्णय के विरुद्ध वह मण्डलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं को निर्णय सूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के अन्दर अभ्यावेदन कर सकेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि प्रबन्ध समिति उपर्युक्त निर्धारित छः सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय उपरोक्त अपील पर न दे तो सम्बन्धित कर्मचारी अपना अभ्यावेदन रीधे मण्डलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं को उपरोक्त छः सप्ताह की अवधि भीत जाने पर दे सकता है।

(4) मण्डलीय उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं द्वारा उप विनियम (3) के परंतुक के अधीन दिए गए अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा और अभ्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर निर्णय देगा। मण्डलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं का निर्णय अंतिम होगा।

44—(1) समूह-'ग' या समूह-'ध' के कर्मचारी को सेवा में घोर अनधीनता, जानबूझकर अथवा गम्भीर कर्तव्य वी उपेक्षा, भौम दुराचरण अथवा ऐसा कार्य करना जिसमें दार्ढिक अपराध, बैईमानी, भ्रष्टाचार, निधियों का दुर्विभिन्नोग, यौन विकृति अथवा नैतिक अध्यमता अन्तर्गत हो जैसे कार्यों के आधार पर सेवा से पदच्युत किया जा सकता है।

(2) समूह 'ग' या समूह 'घ' के कर्मचारी को उपविनियम (1) में उल्लिखित आधारों पर तथा प्रशासन अथवा संस्थागत कार्य की अद्वितीयता अथवा अनधिकृत दृयूशन अथवा नियोजन पर नौकरी से पृथक किया जा सकता है।

(3) समूह 'ग' या समूह 'घ' के कर्मचारी को प्रशासन में कभी असंतोषजनक कार्य अथवा आचरण, पाठ्यानुग्रही कार्यकालाप वी अभिरुचि अथवा परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों के पालन में रुचि का अपाव अथवा राहेहार्पण सत्त्वनिष्ठा तैरे अधारों पर श्रेणी में अवानत किया जा सकता है अथवा उसकी परितक्षियों में कभी की जा सकती है। यह कभी एक निम्न रत्तर के वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान के निम्नतर सोपान में हो सकती है।

45-(1) समूह 'ग' या समूह 'घ' के कर्मचारी को समयमान वेतनमान में किसी अवधि के लिए अस्थायी अथवा स्थायी रूप से वेतनवृद्धि रोक कर भी दण्डित किया जा सकता है।

(2) ऐसा आदेश कर्मचारी को प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं को अपील की जा सकती है और मंडलीय उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएँ का निर्णय अंतिम होगा।

46-(1) शिकायत अथवा गमीर प्रकृति के आरोपों के सम्बन्ध में प्रतिकूल आख्या प्राप्त होने पर प्रबन्ध समिति अध्यापकों के विषय में संस्था के प्रधान अथवा प्रबन्धक को जांच अधिकारी नियुक्त करेगी (अथवा प्रबन्धक स्वयं जांच प्रारंभ करेगा यदि प्रबन्ध समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत इसे यह अधिकार प्रतिनिहित हो गए हैं), और संस्था के प्रधान के संबंध में एक छोटी समसमिति होगी जिसे आख्या गमारीद्वारा प्रस्तुत तरने के निर्देश होंगे। समूह 'घ' कर्मचारियों के सम्बन्ध में संस्था के प्रधान द्वारा विस्तीर्ण अध्यापक को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

(2) उन आधारों को जिन पर कार्यवाही करना प्रत्यावित है, एक निश्चित आरोप अथवा आरोपों के रूप में करके दोषी कर्मचारी को प्रेषित किया जायेगा और जो इतने स्पष्ट और सही होंगे कि दोषी कर्मचारी को उसके विरुद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों का पर्याप्त संकेत कर देंगे। आरोप पत्र प्राप्त होने के तीन साताह के भीतर उसने प्रतिकूल विविध तत्त्वों को लिखित तरिका से जिरह करने का वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है। यदि वह अथवा जांच अधिकारी ऐसा चाहता है तो उन आरोपों के सम्बन्ध में जो स्वीकार नहीं किये गये हैं मौखिक जांच की जाएगी। उस जांच में ऐसे मौखिक साक्ष्य सुने जाएंगे, जिन्हें जांच प्राधिकारी आवश्यक समझता है। दोषी व्यवित साक्षी से जिरह करने का स्वयं साक्षर देने का और ऐसे साक्षियों को सुलाने का, जिन्हें वह चाहे अधिकारी होगा, प्रतिबन्ध यह है कि जांच करने वाला जांच प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से, जो लिखित रूप में अग्रिमिति किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से दुन्कार कर राकर्ता है। कार्यवाही में साक्षर का पर्याप्त अभिलेख और निष्कर्ष का विवरण तथा उसके आधार होंगे। जांच करने वाला जांच प्राधिकारी इन कार्यवाहियों से पृथक ऐसे कर्मचारी पर अधिरोपित किये जाने वाले दास्त के सम्बन्ध में उपनी संस्तुति भी कर सकता है।

(3) उपविनियम (2) वहां लागू नहीं होगा जहां सम्बन्धित व्यवित फरार हो गया हो अथवा जहां अन्य कारणों से पत्र व्यवहार करना अव्यवहारिक है।

(4) उपविनियम (1) के किसी अथवा समरत प्रतिबन्धों से पर्याप्त कारणों सहित जिसका लिखित रूप में अभिलेख होना चाहिए, छूट दी जा सकती है, जहां उसकी आवश्यकताओं का ठीक ठीक पालन करने में कठिनाई हो और उन आवश्यकताओं को जांच प्राधिकारी के मत से दोषी व्यवित के प्रति बिना सम्मान्य हुए, छोड़ा जा सकता है।

47-जांच प्राधिकारी से कार्यवाही की आख्या तथा संस्तुति प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही कर्मचारी को सूचना देने के पश्चात् प्रबन्ध समिति की बैठक कार्यवाही की आख्या तथा की गई संस्तुति पर विचार करने के लिए होगी और उस मामले पर निर्णय लेगी। कर्मचारी को, यदि वह चाहता है, समिति के समक्ष स्वयं उपरिषित होने की आज्ञा दी जायेगी जिससे वह अपना अभियोग प्रस्तुत कर सके और बैठक में संपरिषित विस्तीर्ण सदरय द्वारा पूछे गये किसी प्रश्न का उत्तर दे सके। तब समिति पूर्ण आख्या, समरत राज्याभित कागज पत्र राहित मानतीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाये, को प्रत्यावित कार्यवाही की स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी।

48--संस्था के प्रधान गा अध्यापक के निलम्बन से सम्बन्धित रिपोर्ट में जो विनियम 47 के अधीन मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत की जायेगी, निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे और उसके साथ निम्नलिखित दरतात्त्व होगे :-

(क) निलम्बित किये गये व्यक्ति के नाम के साथ-साथ निलम्बन के समग्र तक उसकी मूल नियुक्ति के दिनांक से उसके द्वारा छूत पदों (वेतनमानों सहित) का विवरण जिसके अन्तर्गत निलम्बन के समय पर धूत पदावधि के प्रकार अर्थात् अस्थायी, रथायी या स्थानापन्न से सम्बन्धित विवरण भी होगा;

(ख) ऐसी रिपोर्ट की एक प्रमाणित प्रति जिसके आधार पर ऐसे व्यक्ति को अन्तः रथायी किया गया था या दक्षतारोक पार करने की अनुज्ञा दी गई थी, इसमें जो भी पश्चात्वार्ती हो;

(ग) ऐसे सभी आरोपों के बारे जिसके आधार पर ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था;

(घ) ऐसी शिक्षान्यतों, रिपोर्टों और जांच अधिकारी वी जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो, की प्रमाणित प्रतियां जिसके आधार पर ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था;

(ङ) प्रबन्ध-संगठि के लक्ष संकल्प की प्रमाणित प्रति जिससे ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था;

(च) ऐसे लायित को जारी किये गये निलम्बन के आदेश की प्रमाणित प्रति;

(छ) यदि ऐसा व्यक्ति पहले भी निलम्बित किया गया था तो जिन आरोपों के आधार पर और जितनी अवधि के लिए वह पिछले अवसरों पर निलम्बित रहा, उनके बारे के साथ-साथ ऐसे आदेशों की प्रमाणित प्रतियां जिसके आधार पर वह बहाल किया गया था।

49--(1) कर्मचारी पर लगाए गए आरोप-अथवा आरोपों को उसके विराम्भ औपचारिक कार्यवाहियां आरम्भ करने का निर्णय लेने के दिनांक से सामान्यतः 15 दिन के भीतर दे देना चाहिए।

(2) कर्मचारी को सामान्यतः अपने प्रतिवाद का लिखित वक्तव्य तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दे देना चाहिए और विसी भी दशा में इस कार्य के स्थिर एक मारन से अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए।

(3) लिखित वक्तव्य देने के एक मास के भीतर सामान्यतः साक्षी वी जांच, मौखिक परीक्षां सहित पूर्ण हो जानी चाहिए।

(4) जांच करने वाली एजेंसी की आख्या जहाँ वह रखायं दण्ड प्राधिकारी नहीं है, यथासम्भव शिक्षा के साथ और सामान्यतः जांच समाप्त होने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत होनी चाहिए।

(5) दण्ड प्राधिकारीं को अनावश्यक विलम्ब के बिना निर्णय ले लेना चाहिए।

50--निलम्बित कर्मचारी को उसके वेतन का आधा जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

51--निलम्बित कर्मचारी को यदि बहाल किया जाए, उसके वेतन तथा प्राप्त निर्वाह भत्ते के अन्तर दिया जायेगा।

52--निलम्बित कर्मचारी दण्ड प्राधिकारी की सहमति से निलम्बन के अथवा किसी अन्य दिनांक दिलाई दिया जा सकता है।

53--मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अधिनियम की धारा 26 की लप्पधारा (3), (4), (5) उल्लिखित कार्यवाही के लिये प्रबन्धत्र से पूर्ण रूप में प्रस्ताव प्राप्त होने के छः सप्ताह के भीत प्रबन्धाधिकरण को निर्णय की सूचना प्रेषित करेगा। यदि प्रबन्धक से अपूर्ण कागज पत्र प्राप्त होते हैं त रवीकृति देने वाले प्राधिकारी प्रस्ताव को पूर्ण रूप से पुनः प्रस्तुत करने को कहेगा और इस विनियम प्रस्तावित छः सप्ताह की अवधि रवीकृत देने वाले प्राधिकारी के पास पूर्ण कागज पुनः प्राप्त होने दिनांक से संगणित की जायेगी। ये कागज पत्र या तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा या विशेष वाहक द्वारा प्रेषि जायेंगे।

५४-अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) (ख) के खण्ड (ख) में विहित संघर्षों के अधीन, अल्लहीय संमुक्त शिक्षा निदेशक के निर्णय से व्यक्ति कोई भी पश्च आदेश की सूचना पाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश के गोपनीय अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश के भाग्यम से शिक्षा निदेशक (भाग्यमिक), एक पांह के भीतर शिक्षाक संस्कृत पाठशालाएं उत्तर प्रदेश के भाग्यम से शिक्षा निदेशक (भाग्यमिक), उत्तर प्रदेश के गोपनीय अधिकारी द्वारा संस्कृत शिक्षा निदेशक (भाग्यमिक), उत्तर प्रदेश का गवर्नर कर्तव्यात्मक रूप से रद्द या समाप्तरित कर सकता है। शिक्षा की गई कार्यालयी, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द या समाप्तरित कर सकता है। शिक्षा निदेशक (भाग्यमिक), उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

५५-संस्था के समूह जा के नियमादियों के सम्बन्ध में उपनिषिकाक संस्कृत पाठशालाये प्रस्तावित रद्द को अनुमति, रद्द या करा या बहास करता है।

५६-विवरण यह है कि दोहर के गोपनीय अधिकारी निदेशक (भेदभाव) सम्बन्धित कर्मचारी की एक अवारे देंगे जो नोटिस पाने के 15 दिनों के भीतर कारबाही का रपोर्ट करेगा।

५७-विवरण ५५ में विहित संघर्षों के अधीन कोई भी पश्च अल्लहीय संमुक्त शिक्षा निदेशक को शूलना द्वारा के एक पांह के भीतर अधिकारी द्वारा अल्लहीय संस्कृत शिक्षा निदेशक जांच के लाभान्तर को अन्वेषण करा या व्यापत्तित रद्द रूप से कर सकता है। यह अंतिम होगा। अल्लहीय संमुक्त शिक्षा निदेशक अधीकार पर तीन माह के भीतर आदेश वारित करेगा।

अन्वय-७

वेतनमान तथा वेतनों का भूगतान।

५८-आधारपक या संस्था को पश्चात् या उत्तर प्रतिवर्तियों को संग्रह तथा पर राज्या सरकार द्वारा सर्वीकृत वेतनमान अनुमत्य किये जायेंगे।

५९-संस्था के प्रधान या अध्यापक या अन्य कर्मचारी का वेतन राश्वा ये प्रथमतः सेवाभार यहाँ करने वाले उत्तराने रद्द या सम्बन्धित वेतनमान के प्रारम्भिक सौपान पर विर्भारित किया जायेगा।

६०-विवरण यह है कि यदि उत्तराने इतराने पूर्व अन्य संस्था में कार्य किया है तथा वेतनवृद्धियाँ अर्जित की हैं तो उसे उन वेतनवृद्धियों का ताम सरकार अश्वा इस विविधमात्रानी में विहित रातों के अन्वय दिया जा सकता है।

६१-आपत्ति प्रतिवर्ति गहरे के लिए अधिक वेतनवृद्धिया विशेष वशालों में इतन की पूर्व सर्वीकृति री ही ही जायेगी।

६२-एक उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर कर्मचारी का आरम्भिक वेतन नये वेतनमान के विभागतम पर विर्भारित किया जायेगा, यदि उत्तराने वेतन उत्तराने वेतनमान से कम है। अन्यथा नये समयमान वेतनमान के उत्तराने वेतन के अन्ते सौपान पर।

६३-प्राकृति संस्था के पश्चात् या अध्यापक या अन्य कर्मचारी के एक भास के वेतन का भूगतान अपने कर्तव्यहर मारा की २०वीं तिथि तक कर देंगी।

६४-वेतन का भूगतान खाता हुआ किया जायेगा जो किसी राल्फीयकृत बैंक में खोला जायेगा।

६५-विवरण वेतनमान अथवा औद्योगिक सूचे की गई अधिकार लेवा वेतन के समयमान वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के लिए आगणित की जायेगी।

६६-संस्था के प्रधान, अध्यापक या अन्य कर्मचारी को वेतन के समयमान वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धिया ग्रहण होनी उत्तराने वेतनवृद्धिया दोकाने का दर्दु नहीं किया जाता है। अथवा वह वेतनारोक पर विर्भार नहीं किया जाता है।

६७-संस्था के किसी प्रधान को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह अपने को छात्रों एवं अध्यापकों के लिए योग्य पश्चप्रदर्शक तथा दक्ष पर्यवेक्षक नहीं सिद्ध कर लेता। संस्था में उचित वाताकरण का विर्भार नहीं कर लेता, संतोषजनक शैक्षिक मानदण्ड उपलब्ध नहीं कर लेता, प्राकृति संस्कृती कार्यकारी का गोपनीकारक रागड़न नहीं कर लेता, अपने को प्रगतिशील शैक्षिक विवार और विकास की भावा के साथ नहीं रखता तथा उनकी सत्याग्रहिता प्रमाणित नहीं कर दी जाती।

65—किसी अध्यापक को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह अपने को एक सुयोग्य अध्यापक नहीं सिद्ध कर लेता, छात्रों पर स्वरथ छाप छोड़े, अनुशासन बनाये रखने तथा पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रमों में सहयोग, संरथा के प्रति रवाभिभवत तथा उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित कर दी जाए।

66—किसी संरथा के प्रधान या अध्यापक की विनियम 64 या 65 के अधीन दक्षतारोक पार नहीं हो तो वह आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अभ्यावैद्यन् कर सकता है। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे जो अंतिम होगा तथा प्रबन्ध समिति द्वारा उसे क्रियान्वित किया जायेगा।

अध्याय-8

एक संस्था से दूसरी संरथा में स्थानान्तरण

67—विसी अत्यसंख्यक संरथा से भिन्न किसी संरथा का प्रधान या कोई रथायी अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी दूसरी संरथा में स्थानान्तरण चाहता है, तो संरथा के प्रधान तथा प्रबन्धक को माध्यम से मण्डलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें वो प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव को साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र में आवेदक के अन्य विवरणों के अतिरिक्त संरथाओं के नाम, रथान व जिला जहाँ के लिए स्थानान्तरण चाहा गया है, लिखित होंगे।

68—विनियम 67 में किये गये प्रावधान के अनुसार मण्डलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र वो उसके द्वारा संरथा के प्रबन्धक को जहाँ संरथानान्तरण चाहा गया है, अग्रसारित किया जायेगा तथा संरथा का सम्बन्धित प्रबन्धक प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव को साथ अपनी संरक्षित भेजेगा। उस पर मण्डलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को संरक्षित को साथ कागज पत्रों को स्थानान्तरण के आदेश, हेतु भेजेगा जो उचित आदेश पारित करेगा।

69—उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें तथा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक इस निमित्त उनके द्वारा प्राप्त स्थानान्तरण के अंतर्दर्श पत्रों का रजिस्टर विनियम 67 व 68 के अधीन रखेंगे।

70—विनियम 67 और 68 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार यदि संरथा का प्रधान अथवा अध्यापक एक मण्डलीय दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण चाहता है, तो मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक स्थानान्तरण के कागज पत्र निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश के माध्यम से शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को भेजेगा। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) का निर्णय अंतिम होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि संरथा का प्रधान अथवा अध्यापक एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण चाहता है, तो मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कागजपत्र को प्रबन्ध कमेटी की संरक्षित और प्रस्ताव को साथ, जहाँ वह स्थानान्तरण चाहता है, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश को भेजेगा।

71—किसी मान्यता प्राप्त संरथा में सेवायोजित व्यवित उस संरथा से दूसरी संरथा में स्थानान्तरित नहीं होगा जब तक कि —

(क) ऐसी संरथा की प्रत्येक प्रबन्ध समिति द्वारा संकल्प पारित कर ऐसे स्थानान्तरण की सहमति नहीं देती,

(ख) ऐसा स्थानान्तरण प्रभावी होने के पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक है।

72—विनियम 68, 69 तथा 70 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन किये गये स्थानान्तरण पर, पूर्व संरथा का प्रबन्धक दूसरी संरथा के प्रबन्धक को कर्मचारी की सेवा पुरितका, चरित्र पंजी, छुट्टी का लेखा, भविष्य निधि लेखा और अद्यावधि विरचित अन्य सुरांगत अभिलेख भेजेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि दूसरी संरथा को सभी सुरांगत अभिलेख जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर एक माह के भीतर भेजे जायेंगे।

73—(1) संरथा का प्रधान, अध्यापक या अन्य कर्मचारी स्थानान्तरित होने पर यात्रा भत्ता का हकदार नहीं होगा।

(2) उसे प्रति 100 किलोग्राम प्रति दिन की दर से अथवा इसका अंश अधिकतम तीन दिन की शर्त पर यात्रा अवकाश अनुगम्य होगा।

(3) संरक्षण के प्रधान, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का भुगतान जिस संरक्षण में वह कार्यभार ग्रहण करता है, उस संरक्षण द्वारा किया जायेगा।

(4) नई संरक्षण में स्थानान्तरित संरक्षण के प्रधान, अध्यापक या अन्य कर्मचारी का नाम संरक्षण में उसके संवार्ग में प्रधान, अध्यापक या कर्मचारी की ज्योष्ट्रता रूपी में रात्रे नीचे अंकित किया जायेगा अर्थात् वह अपनी ज्योष्ट्रता खो देगा।

अध्याय-9

कार्य एवं सेवा का अभिलेख रखना

74—प्रत्येक संरक्षण के प्रधान, अध्यापक वा अन्य कर्मचारी के लिए एक चरित्र पंजी तथा एक सेवापुरितका रखी जायेगी।

75—अध्यापकों के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में उसकी चरित्र पंजी में वार्षिक प्रविष्टियां संरक्षण के प्रधान द्वारा की जायेगी तथा संरक्षण के प्रबन्धक द्वारा अनुमोदित की जायेगी। संरक्षण के प्रधान के सम्बन्ध में प्रविष्टियां संरक्षण के प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

76—जहां एक वर्ष विशेष में किसी संरक्षण के प्रधान, अध्यापक या किसी कर्मचारी की चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाती है, वहाँ ऐसी प्रविष्टि किये जाने के 30 दिन के भीतर उसे सूचित किया जायेगा और उसकी प्राप्ति की स्वीकृति ली जायेगी। इसी प्रकार सत्यनिष्ठा के प्रमाण पत्र रोके जाने की सूचना भी दी जायेगी।

77—चरित्र पंजी की प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावैद्यन प्रबन्ध समिति को किया जा सकता है जिसका निर्णय निहित होगा।

78—रात्रि सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रपत्र पर एक सेवा-पुरितका संरक्षण के कर्मचारी को उसके अपने मूल्य पर प्रथम नियुक्ति पर दी जायेगी और चरित्र-पंजी के साथ अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में संरक्षण की तथा संरक्षण के प्रधान एवं सम्बन्ध में प्रबन्धक की अभिरक्षा में रखी जायेगी।

79—संरक्षण के अध्यापक या कर्मचारी को किसी भी समय अपनी सेवा पुरितका की जांच करने की अनुमति दी जायेगी एवं वह इस बात के लिए रातुआ होना चाहे कि उसकी सेवा-पुरितका भली-भांति रखी जा रही है।

80—अध्यापक या कर्मचारी अपनी सेवा पुरितका में वार्षिक वेतन-वृद्धि, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रत्येक प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा और सेवा में कोई भी व्यवधान उसकी अवधि के पूर्ण विवरण संहित अभिलिखित होगा। अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों की विषय में संरक्षण के प्रधान द्वारा तथा संरक्षण के प्रधान के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा सेवा-पुरितका की समरत प्रविष्टियां प्रमाणित की जायेंगी। आवरिगद अवकाश, सपारिजित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, शैशवितक कार्य हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों पर लागू हों।

आज्ञा रे,

जितेन्द्र कुमार,

सचिव।

卷之三

(ग्रन्थालय-२ वर्ष) विनियोग दोषों के विकल्प

साथा के द्वितीय अध्यात्मों की नियुक्ति के लिए अहतादे

क्रम संख्या	पदलाभ	शैक्षिक अहंता	प्रशिक्षण	अनुभव	आयु	आडिगानी अहंता
1.	दृष्टव्यापक / व्रक्षाच अध्यापक उत्तर वस्थमा / पुर्व वस्थमा) प्रथमा	कम से कम हितीय क्षेणी में स्वातंत्र्यकोत्तर उपाधि (श्रावाणी) सुख्यकृत मुख्य क्रिया के रूप में	शिक्षामारको बीएड्डी	सहस्रलैंगिक लैंगिक कम से कम हितीय क्षेणी में	वृक्षतन 30 वर्ष	पारंपरिक उपाधि द्वारा वर्णियता
2.	ज्ञानेत्र अध्यापक (उत्तर वस्थमा)	ज्ञानेत्र अध्यापक (उत्तर वस्थमा) के काम से कम हितीय क्षेणी में स्नातकोत्तर (श्रावाणी) उपाधि	कम से कम हितीय क्षेणी में स्नातकोत्तर (श्रावाणी) उपाधि	सहस्रलैंगिक लैंगिक कम से कम हितीय क्षेणी में	वृक्षतन 30 वर्ष	पारंपरिक उपाधि द्वारा वर्णियता
3.	ज्ञानेत्र अध्यापक (पूर्व वस्थमा)	ज्ञानेत्र अध्यापक (पूर्व वस्थमा) के काम से कम हितीय क्षेणी में स्नातकोत्तर (श्रावाणी) उपाधि	कम से कम हितीय क्षेणी में स्नातकोत्तर (श्रावाणी) उपाधि	शिक्षा शिक्षकों द्वारा वर्णियता	वृक्षतन 30 वर्ष	पारंपरिक उपाधि द्वारा वर्णियता
4.	ज्ञानेत्र अध्यापक वस्थमा विद्यालय	ज्ञानेत्र अध्यापक वस्थमा विद्यालय के काम से कम हितीय क्षेणी में स्नातकोत्तर (श्रावाणी) उपाधि	कम से कम हितीय क्षेणी में स्नातकोत्तर (श्रावाणी) उपाधि	शिक्षा शिक्षकों द्वारा वर्णियता	वृक्षतन 30 वर्ष	पारंपरिक उपाधि द्वारा वर्णियता
5.	दर्शन द्वारक अध्यापक (उत्तर वस्थमा)	दर्शन द्वारक अध्यापक (उत्तर वस्थमा) के काम से कम हितीय क्षेणी में स्नातकोत्तर (श्रावाणी) उपाधि	कम से कम हितीय क्षेणी में स्नातकोत्तर (श्रावाणी) उपाधि	शिक्षामारको बीएड्डी	प्रारंभिक अंग पारंपरिक उपाधि	
6.	दर्शन शास्त्र अध्यापक (पूर्व वस्थमा)	दर्शन शास्त्र अध्यापक (पूर्व वस्थमा) के काम से कम हितीय क्षेणी में स्नातकोत्तर (श्रावाणी) उपाधि	कम से कम हितीय क्षेणी में स्नातकोत्तर (श्रावाणी) उपाधि	शिक्षामारको बीएड्डी	पारंपरिक उपाधि द्वारा वर्णियता	
7.	ज्योतिष अध्यापक	ज्योतिष अध्यापक के काम से कम हितीय क्षेणी में स्नातकोत्तर (श्रावाणी) उपाधि	कम से कम हितीय क्षेणी में स्नातकोत्तर (श्रावाणी) उपाधि	शिक्षामारको बीएड्डी	पारंपरिक उपाधि को वर्णियता	

1	2	3	4	5	6	7
8.	યાકરણ અભ્યાપક (ઉત્તર નિયમ)	સંબંધિત વિષય મેં કમ સે કમ દ્વિતોય ક્રેણો ને સ્નાતકોત્તર (આચાર્ય) ઉપાધિ				સારથારેન ઉપાધિ કો વરેદતા
9.	યાકરण અભ્યાપક (પૂર્વ નિયમ) / પ્રથમા	સંબંધિત વિષય મેં કમ સે કમ દ્વિતોય ક્રેણો ને શિક્ષાશારકો / બોઝડો				સારથારેન ઉપાધિ કો વરેદતા
10.	વૈદ અભ્યાપક (ઉત્તર નિયમ)	સંબંધિત વિષય મેં કમ સે કમ દ્વિતોય ક્રેણો ને સ્નાતકોત્તર (આચાર્ય) ઉપાધિ				સારથારેન ઉપાધિ કો વરેદતા
11.	વૈદ અભ્યાપક (પૂર્વ નિયમ) / પ્રથમા	ક્રમ સે કમ દ્વિતોય ક્રેણો ને સ્નાતક શારકો / બોઝડો				સારથારેન ઉપાધિ કો વરેદતા
12.	સાહેચા અભ્યાપક (ઉત્તર નિયમ)	સંબંધિત વિષય મેં કમ સે કમ દ્વિતોય ક્રેણો ને આચાર્ય / સ્નાતકોત્તર ઉપાધિ				સારથારેન ઉપાધિ કો વરેદતા
13.	સાહેચા અભ્યાપક (પૂર્વ નિયમ) / પ્રથમા	સંબંધિત વિષય મેં કમ સે કમ દ્વિતોય ક્રેણો ને સ્નાતક (આચાર્ય) ઉપાધિ				સારથારેન ઉપાધિ કો વરેદતા
14.	હિન્દો અભ્યાપક (ઉત્તર નિયમ)	સાઇન્ચિત વિષય મેં કમ સે કમ દ્વિતોય ક્રેણો ને સ્નાતકોત્તર ઉપાધિ તથા સરકૃત કે સાધા બોઝડો				સારથારેન ઉપાધિ કો વરેદતા
15.	હિન્દો અભ્યાપક (પૂર્વ નિયમ) / પ્રથમા	સંબંધિત વિષય મેં કમ સે કમ દ્વિતોય ક્રેણો ને સ્નાતકોત્તર ઉપાધિ				સારથારેન ઉપાધિ કો વરેદતા
16.	ગણિત અભ્યાપક (ઉત્તર નિયમ)	સંબંધિત વિષય મેં કમ સે કમ દ્વિતોય ક્રેણો ને સ્નાતકોત્તર ઉપાધિ				સારથારેન ઉપાધિ કો વરેદતા
17.	ગણિત અભ્યાપક (પૂર્વ નિયમ) / પ્રથમા	સંબંધિત વિષય મેં કમ સે કમ દ્વિતોય ક્રેણો ને સ્નાતક ઉપાધિ				સારથારેન ઉપાધિ કો વરેદતા
18.	ગુહ વિજ્ઞાન / ગુહ અભ્યાપક (ઉત્તર નિયમ)	સંબંધિત વિષય કે સાથ કમ સે કમ દ્વિતોય ક્રેણો ને સ્નાતકોત્તર ઉપાધિ				સારથારેન ઉપાધિ કો વરેદતા

1	2	3	4	5	6	7
19.	गृह विज्ञान / गृह अध्ययन अध्यापक (दूरबं नच्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम हो कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी0एड0			
20.	सामाजिक विषय अध्यापक (उत्तर स्थायमा)	सम्बन्धित विषय में कम हो कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि				
21.	समाजशास्त्र विषय अध्यापक (पूर्व स्थायमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम हो कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक	शिक्षाशास्त्री / बी0एड0			
22.	अंग्रेजी अध्यापक (उत्तर स्थायमा)	सम्बन्धित विषय में कम हो कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि				
23.	अंग्रेजी अध्यापक (पूर्व स्थायमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम हो कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बी0एड0			
24.	विज्ञान अध्यापक (उत्तर स्थायमा)	सम्बन्धित विषय में कम हो कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि				
25.	विज्ञान अध्यापक	सम्बन्धित विषय में कम हो कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि				
26.	सांगीत अध्यापक (उत्तर स्थायमा)	सम्बन्धित विषय में कम हो कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि प्रथमा भारतखण्ड विद्यावीट, लखनऊ से नियुन नरेक्षा प्रथमा प्रथमा संगीत समिति प्रयाग को वर्गीकृत करेक्षा				
27.	सांगीत अध्यापक (दूरबं नच्यमा) / प्रथमा	सम्बन्धित विषय में कम हो कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक अथवा भारतखण्ड विद्यापीट, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा अथवा प्रथमा संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्राकाकर परीक्षा				

1	2	3	4	5	6	7
28.	भोटेरा नवाया अंग्रेजीक मर्जन अंग्रेजीक	झाँईग हथा भोटेरा में स्नातक अभ्यास कला एवं विषय विद्यालय लखनऊ का अन्तर्गत ट्रेनिंग सर्टिफिकेट	शिक्षाशास्त्री / श्री01एडु एवं समकालीन ट्रेनिंग			
29.	भोटेरा कृषि व्यवसायिक कला अंग्रेजीक (पूर्व कालीय) / व्यापार	राजनीति विद्या एवं शिक्षालय कैखनाली आठ मारटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अभ्यास व्याचिक कला के साथ 1000मि० शिक्षा गणेश के इटर्नीशियर व्यवसा अभ्यास इतना व्यापार के साथ बो०८०	शिक्षाशास्त्री / श्री01एडु			
30.	कमलाउड अंग्रेजीक (उत्तर कालीय)	राज्य सरकार द्वारा सांचे समझौते वर्तमान सम्बन्धित विषय में कला से कृषि विजेय श्रेणी में स्नातकोत्तर (आचार्य) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / श्री01एडु			
31.	कृषकाउड अंग्रेजीक (पूर्व कालीय)	सम्बन्धित विषय में कला से कृषि विजेय श्रेणी में शास्त्री (स्नातक) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / श्री01एडु			
32.	व्याय अंग्रेजीक (उत्तर कालीय)	सम्बन्धित विषय में कला से कृषि विजेय श्रेणी में स्नातकोत्तर (आचार्य) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / श्री01एडु			
33.	व्याय अंग्रेजीक (पूर्व कालीय) / व्यापार	सम्बन्धित विषय में कला से कृषि विजेय श्रेणी में शास्त्री (स्नातक) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / श्री01एडु			
34.	योग अंग्रेजीक (उत्तर कालीय)	सम्बन्धित विषय में कला से कृषि विजेय श्रेणी में स्नातकोत्तर (आचार्य) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / श्री01एडु			
35.	योग अंग्रेजीक (पूर्व कालीय) / व्यापार	सम्बन्धित विषय के साथ कला से कृषि विजेय श्रेणी में शास्त्री (स्नातक) उपाधि	शिक्षाशास्त्री / बो०८०			

1	2	3	4	5	6	7
36.	आयुर्वदाचार्य (हेत्तर प्रथमा)	सन्ख्याचित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में ज्ञानातकोत्तर (आचार्य) उपाधि				
37.	आयुर्वदाचार्य (पूर्व प्रथमा) / प्रथमा	सन्ख्याचित विषय के साथ कला से कम द्वितीय श्रेणी में शास्त्री (राजातक) उपाधि शिक्षाशास्त्री / बोर्डडॉ				
38.	अथशारक्र अध्यापक (उत्तर प्रथमा)	सन्ख्याचित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में ज्ञानातकोत्तर उपाधि अथवा एम०व०न० कोर्कम० अथशास्त्र सहित				
39.	अथशारक्र अध्यापक (पूर्व प्रथमा) / प्रथमा	सन्ख्याचित विषय में कला से कम द्वितीय श्रेणी का शास्त्री (राजातक) उपाधि				
40.	इतिहास अध्यापक (उत्तर प्रथमा)	सन्ख्याचित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी का ज्ञानातकोत्तर उपाधि				
41.	इतिहास अध्यापक (पूर्व प्रथमा) / प्रथमा	सन्ख्याचित विषय में कला से कम द्वितीय श्रेणी में शास्त्री (राजातक) उपाधि शिक्षाशास्त्री / बोर्डडॉ				
42.	लागरिकशास्त्र अध्यापक (उत्तर प्रथमा)	सन्ख्याचित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में ज्ञानातकोत्तर उपाधि				
43.	लागरिकशास्त्र अध्यापक (पूर्व प्रथमा) / प्रथमा	सन्ख्याचित विषय में कम से कम शास्त्री (राजातक) उपाधि शिक्षा शास्त्री / बोर्डडॉ				
44.	भूगोल अध्यापक (उत्तर प्रथमा)	सन्ख्याचित विषय में कम से कम ज्ञानातकोत्तर उपाधि				
45.	भूगोल अध्यापक (पूर्व प्रथमा) / प्रथमा	सन्ख्याचित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में शास्त्री (राजातक) उपाधि शिक्षाशास्त्री / बोर्डडॉ				

1	2	3	4	5	6	7
46.	पनोविज्ञान अध्यापक (उत्तर क्षेत्र) कृष्णमा	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि		प्रशिक्षित		
47.	शैक्षिक विज्ञान अध्यापक उन्नामि	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उन्नामि प्रथमा एमएड्स		प्रशिक्षित		
48.	समाजशास्त्र अध्यापक स्नातकोत्तर उन्नामि	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उन्नामि		प्रशिक्षित		
49.	वाणिज्य अध्यापक (उत्तर क्षेत्र) कृष्णमा	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उन्नामि		प्रशिक्षित		
50.	वाणिज्य अध्यापक (पूर्व क्षेत्र) कृष्णमा / दृष्टना	सम्बन्धित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में शास्त्री (स्नातक) उपाधि		प्रशिक्षित		
51.	बुनाई तथा कलानीति अध्यापक (उत्तर क्षेत्र)	अहं दी के साथ बुनाई एवं कठिन ने अहंगा अथवा राजकीय रचनात्मक एवं प्रशिक्षण विद्यालय में समकक्ष परीक्षा				
52.	बुनाई तथा कलानीति अध्यापक (पूर्वमणि) / कृष्णमा	आई दी के साथ बुनाई एवं कठिना में अहंगा अथवा राजकीय रचनात्मक एवं प्रशिक्षण विद्यालय में समकक्ष परीक्षा		प्रशिक्षित		
53.	प्रशिक्षण अध्यापक (उत्तर क्षेत्र) कृष्णमा	टेलरिंग में इंटरमीडिएट विशेष अहंता, सी०३०० टेलरिंग अथवा समकक्ष परीक्षा				
54.	प्रशिक्षण अध्यापक (पूर्व क्षेत्र) कृष्णमा / दृष्टना	टेलरिंग में इंटरमीडिएट विशेष अहंता, सी०३०० टेलरिंग अथवा समकक्ष परीक्षा				
55.	बांगली अध्यापक (उत्तर क्षेत्र) कृष्णमा	बंगली में स्नातकोत्तर उपाधि		प्रशिक्षित		

1	2	3	4	5	6	7
56.	बाली अध्यापक (पुरुष मध्यमा) / प्रथमा	बाली विषय के साथ स्नातक				
57.	दूजांशी अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	पंजाबी विषय के साथ स्नातकोत्तर				
58.	दूजांशी अध्यापक (पुरुष मध्यमा) / द्वितीयमा	पंजाबी विषय के साथ स्नातक				
59.	उड़ अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	उड़ विषय के साथ स्नातकोत्तर				
60.	उड़ अध्यापक (पुरुष मध्यमा) / प्रथमा	उड़ विषय के साथ स्नातक				
61.	नैपाली अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	नैपाली विषय के साथ स्नातकोत्तर				
62.	नैपाली अध्यापक (पुरुष मध्यमा) / द्वितीयमा	नैपाली विषय के साथ स्नातक				
63.	पाली अध्यापक (उत्तर मध्यमा)	पाली विषय के साथ स्नातकोत्तर				
64.	पाली अध्यापक (पुरुष मध्यमा) / द्वितीयमा	पाली विषय के साथ स्नातक				

परिशिष्ट—ख

(आन्याय--2 के विभिन्नम् 8(4) के सन्दर्भ में)

(क) ऐसे व्यवित्त का विवरण जैसे पद पर अन्तिम बार था :-

1. पदनाम
2. वेतनमान
3. रिहित होने का दिनांक और उसका कारण
4. रिविस्ट का प्रकार — छुट्टी, अस्थायी या भौतिक
5. पद के लिए विहित अर्हताएँ
6. गिरफ्ते पदधारी का नाम तथा वेतन
7. अभ्युवित्त

(ख) नियुक्त किये गये व्यवित्त का विवरण :-

1. नाम
2. जन्म दिनांक
3. अर्हताएँ — परीक्षाये उन्हें उत्तीर्ण करने के दिनांक के राशी-राशि विवरण शेषी सहित
4. ररण वेतनकरण में जिससे पदोन्नति की गयी हो ज्येष्ठता के अनुसार रिथति
5. ऐसी अवधि दिनांक सहित जिसके लिए नियुक्ति की गई हो
6. अनुमत वेतन और वेतनमान
7. अभ्युवित्त

परिशिष्ट—ग

[अध्याय—2 के विनियम 9(1) के सन्दर्भ में]

रसरशा का नाम पद
 को विवरण लिखके लिए साक्षात्कार लिया गया।

साक्षात्कार का रथन साक्षात्कार का दिनांक

क्रम सं०	आगरी का नाम पते सहित	क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है	जन्म दिनांक
1	2	3	4

पूर्ण अनुमति	अधिकारी	सं०	पूर्ण अनुमति	अधिकारी	सं०
सं०	तिथि	पद	सं०	तिथि	पद
5	6	7	8	9	10

अन्य कार्यकलाप	दिये गये गुण विषयक अंक	बगम समिति के सदरयों का पर्योग्यान	साक्षात्कार अंक
13	14	15	16

गुण विषयक और साक्षात्कार के अंतरों का गोग	क्या सदरय चयन से सहमत हैं (हैं या नहीं) यदि नहीं तो संशोध में कानून बताइए	आयुगित यदि कोई हो
17	18	19

प्रमाणित लिया जाता है कि ऐसे प्रश्नात चग्न से सम्बन्धित रासी अग्निशेखों की जांच कर ली है और विशेष रूप से परीक्षा कर ली है कि कोई भी आगरी इस चान्दनी में अधिनियम और विनियमों के उपर्यन्धों के आधार पर साक्षात्कार में समिलित होने के लिये सम्मत दावे से वंचित नहीं रखा गया है।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद नाम

पता

परिशिष्ट-घ

[अध्याय-२ के विनियम ९(ज) के सन्दर्भ में]

किसी संस्था के प्रधान और अध्यापक के लिए गुण विषयक माप मान संस्था के प्रधान के लिए गुण विषयक अंक

साक्षात्कार में बुलाने के लिए अधिकतम गुण 150

विषयक अंक

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने 50

वाले अधिकतम अंक

प्रथम	द्वितीय	तृतीय
श्रेणी	श्रेणी	श्रेणी
10	7	4
20	15	8
30	23	12
40	30	16
सिद्धान्त		व्यवहार
		अंक
प्रथम	प्रथम	20
प्रथम	द्वितीय	18
द्वितीय	प्रथम	16
द्वितीय	द्वितीय	12
द्वितीय	तृतीय	10
तृतीय	द्वितीय	10
अन्य		8

शिक्षा अभियान - प्रत्येक वर्ष के लिए

2 अंक और अधिकतम 15 अंक।

प्रशासनिक अनुग्रह - प्रति वर्ष के लिए

2 अंक और अधिकतम 15 अंक

पतका पद के लिए गुण विषयक अंक -

साक्षात्कार में बुलाने के लिए अधिकतम गुण 150

विषयक अंक

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए

अधिकतम अंक 50

प्रथम	द्वितीय	तृतीय
श्रेणी	श्रेणी	श्रेणी
1	2	3
10	7	4
20	15	8
30	23	12
50	38	20

प्रशिक्षण

सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रथम	प्रथम	10
प्रथम	द्वितीय	9
द्वितीय	प्रथम	8
द्वितीय	द्वितीय	6
द्वितीय	तृतीय	5
तृतीय	द्वितीय	--
अन्य		4

शिक्षण अनुभव -- प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक

और अधिकतम 15 अंक

सह -- पाठ्यग्रन्थ कार्यकालाप

एलाइंट वैतनगाम के अध्यापकों के हिस्से में विषयक संग्रह

साधात्कार के लिए बुलाने के लिए अधिकतम

मुण विषयक अंक 8

चयन समिति द्वारा साधात्कार के लिए

अधिकतम 50

हाईस्कूल

इन्स्ट्रीक्युलेट

स्नातक संपादि

स्नातकोत्तर संपादि

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
15	12	6
25	18	10
40	30	16
20	15	18

प्रशिक्षण

सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रथम	प्रथम	20
प्रथम	द्वितीय	18
द्वितीय	प्रथम	16
द्वितीय	द्वितीय	12
द्वितीय	तृतीय	10
तृतीय	द्वितीय	--
अन्य		8

शिक्षा अनुभव — प्रतिवर्ष के लिए 2 अंक

और अधिकलग 15 अंक।

सह-पाठ्यक्रम कार्यकलाप

15

इसी पाठ्यक्रम में सह-पाठ्यक्रम कार्यकलाप के लिए दिए गए गुण दिशानक अंकों के लाई निम्न प्रकार हैं—

तीन सह-पाठ्यक्रम कार्यकलाप

संक्षिप्त रूप से भाग लिया

(क)	खेल / खेलकूद	विद्यालय एकादश	1
		महाविद्यालय	2
		विश्वविद्यालय	3
		राज्य	5
(ख)	स्कॉलिंग	द्वितीय श्रेणी	1
	और राष्ट्रीय कैलेट कोर या पीठेसॉली	प्रथम श्रेणी	3
		राष्ट्रपति	5
		कारपोरेशन	1
		सर्वेट	2
		कामनी सर्वेट मेजर	3
		वालियन सर्वेट मेजर	4
		आन्डर आफीसर	5
(ग)	अन्य दक्षता छार्टर	विद्यालय रत्न	1
	ताद-विताद, नाट्यकला	महाविद्यालय रत्न	2
	फूटबूल / पालियामेन्ट	विश्वविद्यालय रत्न	3
		राज्य रत्न	5

टिप्पणी — गुण विषयक अंकों की गणना करने के लिए इंडियन रकूत रार्टीफिकेट परीक्षा को हाईररकूल के समकक्ष और पीठेसॉली को इन्डियनडिएट के समकक्ष समझा जायेगा।

परिशिष्ट-ड

[भाग्याय-२ के विभिन्न १५ के समर्थ में]

एविएट्रीकूट आवश्यक है।

संख्या

दिनांक

संरक्षा का नाम

रक्षण

जिला

विषय :- संरक्षा के अध्यापक/प्रधान की नियुक्ति।

महोदय/गहोदय।

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि चयन समिति द्वारा आपका चयन के पाठ के लिए किया गया है। संरक्षा की प्रबन्ध समिति ने आपने संकल्प संरक्षा दिनांक द्वारा आपको रूपांते के नेतृत्वानन गें राज्य के प्रारम्भिक वेतन तथा नियमावली के अद्वितीय एवं अनुमत्य गंहगार्ड भूते पर एक वर्ष की वार्षिकीय पर तक अस्थाधी रूप से के रूप में नियुक्त कर लिया है।

आपसे इस पत्र की पापि के दिनांक से दस दिन के भीतर संरक्षा के प्रधान/प्रबन्धक के समक्ष उपरिथत होने और कार्यालय के लिए विभिन्न कार्यों की जाती है। यदि आप लापत दिनिकिल्ल आप के भीतर कार्यालय गड़ण नहीं करेंगे तो इस नियुक्ति को रद्द किया जा सकेगा।

अवधीय

प्रबन्धक।

प्रतिलिपि:-माणस्तीय उपनिशिक्षक संरक्षा पाठशालाये/जिला विद्यालय निरीक्षक / पाण्डितीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को सूचनार्थ अप्रसारित।